NEW MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

30

सामाजिक संस्थाओं पर श्री अरविन्द के विचारों का संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. बैभव सिंह तोमर
पीएच.डी (समाज शास्त्र)
प्राचार्य,व्ही.आई.पी.एस महाविद्यालय,ग्वालियर

साधारणतया संस्था जनरीतियों, रूढ़ियों और विधियों का ही एक संगठित रूप है जो एक प्रतीक और कुछ निष्चित उद्देष्य रखती है जिसमें कुछ नियम और एक पद्धति होती है जो मनुश्यों की सामाजिक क्रियाओं पर निर्भर है और उनको नियन्त्रित करने का एक अधिक स्थिर और अभूर्त साधन है। एच.ई. बार्न्स के अनुसार, ''संस्था सामाजिक ढांचा और यन्त्र है जिसके द्वारा मानव-समाज मानव आवष्यकताओं की संतुश्टि के लिए बहुसंख्यक व्यापारों का संगठन एक संपादन करता है।''[१] इसके अनुसार कुटुम्ब और राज्य उसी प्रकार की संस्थाएँ हैं जिस प्रकार के विवाह और सरकार। जिस वर्ग ने लिखा है ''संस्था, पारस्परिक अथवा किसी बाह्य वस्तु से सम्बन्धित सामाजिक प्राणियों के हुई निष्चित प्रमाणिक रीतियों और विधियाँ हैं।[२]

इस प्रकार विवाह, अनेक प्रकार विवाह पद्धतियाँ तथा इस प्रकार के अन्य सर्वग्राह्य विधान को संस्था कह सकते हैं। सम्मिलित उद्देष्य की पूर्ति के लिये संघ की रचना होती है और जब मनुश्य संघ बनाते हैं तब वे सामान्य कार्य-व्यापार संचालन तथा सदस्यों के परस्पर नियमन के लिये नियम एवं कार्य-प्रणालियाँ भी अवष्य बनाते हैं। प्रत्येक संघ के अनुरूप उसकी संस्थाएँ हैं। यदि कुटुम्ब का ''विवाह'' राज्य की ''सरकार'' और शासन विधान संस्थाएँ हैं। यदि कुटुम्ब संघ है तो एक पत्नी अथवा बहुपत्नी विवाह संस्था है। आश्रम संघ है तो उसका विधान संस्था है। राज्य एक संघ है तो उसके कानून संस्था है। हम संघ के अंग हैं लेकिन संस्था से हमारे आचरण का नियमन होता है। हम कुटुम्ब के और राज्य के अंग हैं किन्तु विवाह और कानून के नहीं। संस्था का स्वरूप संघ के द्वारा ही प्रकट होता है।

अब प्रष्न उठता है कि अस्पताल, कारागार और महाविद्यालय को किस अर्थ में ग्रहण करें ? जब हम अस्पताल कहते हैं तो हमारे ध्यान में अस्पताल का भवन, रोगियों की सेवा की एक प्रणाली, औशधि, उसमें भर्ती होने के नियम तथा विचार आता है। इसी प्रकार अस्पताल से हमारा अभिप्राय उसके डॉक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों से भी हो सकता है। जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। संघ सदस्यता को प्रकट करता है और संस्था रीति अथवा लक्ष्य प्राप्ति का साधन।[३]

सामुदायिक जीवन में प्रचलित पर्व और त्यौहार तथा किसी विषेश उत्सव के आचरण सम्बन्धी नियम समुदाय के द्वारा प्रतिश्ठित संस्थाएँ हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जो प्रायः सब प्रकार

के संघों में पाई जाती है। इसे हम विधान कहते हैं। जिस वर्ग के अनुसार, ''संस्था प्रत्यक्ष उद्देष्यों के रूप में इच्छाओं तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा स्वयं निर्धारित लक्ष्यों के बाह्य आकारों के मिलन बिन्दु हैं।''[४]

प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य हित होते हैं और कुछ विषश्ट हित होते हैं। समुदाय के विषिश्ट हितों की सिद्धि के लिए समितियों का निर्माण होता है। ये समितियाँ जो साधन, कार्य-विधियों या प्रणाली अपनाती है उनके स्थायी रूप को ही संस्थाएँ कहते हैं। मैकाइवर के अनुसार, ''संस्थाओं से उसका अर्थ कार्य-विधि की दषाओं अथवा स्थापित रूपों से है जो सामूहिक क्रिया की विषेशता होती है।''[५]

इसी प्रकार कूले ने लिखा है, ''एक संस्था किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण सतत् अनुभव होने वाली आवष्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक विरासत में स्थापित व्यवहारों का जटिल तथा एक मूल संगठन है।'' अर्थात् सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए सामूहिक क्रिया की प्रणालियों के प्रभावी और प्रतिश्ठित रूपों को संस्थाएँ कहते हैं। जनतन्त्र का दो दलीय संगठन, संविधान, वयस्क मताधिकार प्रणाली आदि राजनीतिक संस्थाएँ हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक, आयोग सम्बन्धी, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्म संस्थाएँ होती हैं। संस्थाएँ मनुश्य की विभिन्न मूल आवष्यकताओं की संतुश्टि करती हैं। बैलार्ड ने सामान्य इच्छा द्वारा किसी प्रयोजन से स्थापित संगठित मानव-सम्बन्धों के प्रतिमानों को सामाजिक संस्थाएँ कहा है। वे सामाजिक प्रक्रियाओं के साध्य उत्पादन हैं। उनका प्रमुख कार्य कर्मरत मानव समूह के आचरण को नियमित करना होता है।''[६]

सामाजिक संस्थाएँ मुख्य रूप से विवाह, राज्य, परिवार, आर्थिक संस्थाएँ, औद्योगिक संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ और धार्मिक संस्थाएँ हैं।

श्री अरविन्द के अनुसार, ''इसमें कुछ आष्चर्य नहीं कि इतिहास तथा समाजषास्त्र में बाह्य सामग्री, नियमों, संस्थाओं, रीतियों एवं प्रथाओं, आर्थिक तथ्यों तथा घटनाओं पर ही ध्यान केन्द्रित रखा गया है जबकि मनुश्य जैसे मनोमय, भावनामय तथा विचारषील प्राणी की क्रियाओं में इतना अधिक महत्व रखने वाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अत्यधिक उपेक्षा कर दी गई।''[७]

''यहाँ तक कि ऐसे इतिहासवेत्ता भी हैं जो मानव-संस्थाओं के विकास में विचार के कार्य तथा विचारक के प्रभावों को गौण समझकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा उसके अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं।''[८]

श्री अरविन्द के अनुसार मनुश्य की समस्त धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ, उसके जीवन के समस्त क्षण और अवस्थाएँ, ये सबके सब उसके लिए प्रतीक हैं। उसके जीवन की पृश्ठभूमि, उसकी गतिविधि का निर्माण तथा नियन्त्रण करने वाले अथवा कम से कम उनमें हस्तक्षेप करने वाले जो मुक्त प्रभाव हैं उसके विशय में वह जो कुछ जानता है अथवा अनुमान करता है, उस सबको वह उन प्रतीकों के द्वारा ही प्रकट करने का यत्न करता है।[९]

श्री अरविन्द आश्रम प्रचलित अर्थों में एक संस्था नहीं है, यह एक परिवार है। यह उनकी प्रयोगषाला है जहाँ विभिन्न परिस्थितियों में मनुश्य के प्रत्येक पहलू का अध्ययन होता है तथा उसे नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करके आन्तरिक बल से उनका मुकाबला करने

की विद्या सीखनी होती है। वहाँ जीवन को समग्र रूप में लेकर उसे ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाता है। श्री अरविन्द ने एक बार कहा था - ''मेरा लक्ष्य एक ऐसे विषाल परिवार की स्थापना करना है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा हो कि अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा विकास कर सके और उन्हें अभिव्यक्ति भी दे सके।'' श्री अरविन्द ''आश्रम'' श्री अरविन्द और श्री माँ के ऐसे ही आदर्षों का संमूर्तन है। भारत में ''आश्रम'' से बोध एक ऐसे सुसम्बद्ध समाज से होता है जो सांसारिक जीवन को त्यागकर आध्यात्मिक जीवन की साधना के लिए गुरू के सान्निध्य में इकट्ठा रहता है।

लेकिन यह परिभाशा श्री अरविन्द आश्रम पर चरितार्थ नहीं होती है। क्योंकि श्री अरविन्द के ही शब्दों में, ''यह आश्रम पर चरितार्थ नहीं होती है क्योंकि ''यह आश्रम वास्तव में संसार से सन्यास ले बैठने के लिये नहीं है, बल्कि एक भिन्न रूप और भाव के जीवन को विकसित करने का केन्द्र और साधना-क्षेत्र है।''[९०]

आन्दोलनकारी जीवनकाल में गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने निष्चयपूर्वक कहा था, ''आध्यात्मिक जीवन की सबसे सषक्त अभिव्यक्ति उसी व्यक्ति में हो सकती है जो योगक्षम होकर भी सामान्य रूप का जीवन जीता है। वास्तव में आन्तरिक और बाह्य जीवन की इस संयुक्ति से ही मानव जाति का उत्थान होगा और वह शक्ति सम्पन्न और दिव्य बन सकेगी।''

श्री अरविन्द आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ सामान्य जीवन आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य और आधारभूत अंग माना जाता है। आश्रम के वर्तमान सदस्यों में से, जो विभिन्न राश्ट्रों से और विभिन्न सामाजिक स्थितियों से आये हैं, इसमें न कोई सन्यासी है, न तापस-यतिः वे सभी साधक हैं, जिज्ञासु और अभीत्सु और उनका एकमात्र आदर्ष है कि धरती पर धरती का ही जीवन जीते हुए दिव्य जीवन की संप्राप्ति करें। इसलिए वहाँ उन्हीं व्यक्तियों को स्वीकार किया जाता है जिसके अन्तरमन में स्त्री माँ की दृश्टि से भगवान के लिए सच्ची पुकार हो। श्री अरविन्द ने एक अवसर पर कहा था, ''हम तो धनी और रंक, कुलीन और सामान्य, सभी का समान भाव से स्वागत करते हैं और समान ही संरक्षण और प्रेम देते हैं।''[९९]

मुख्य भवनों के अतिरिक्त जहाँ श्री माँ का निवास था और जहाँ श्री अरविन्द की समाधि है, आश्रम के कई और भवन हो गये हैं जो पाण्डिचेरी और उसके चारों ओर से अंचल में जगह-जगह बने हुए हैं। किसी ने एक बार श्री अरविन्द से पूछा था कि आश्रम की अपनी सीमा भूमि कौन सी या कहाँ तक है तो उन्होंने उत्तर दिया था, ''छोटा या बड़ा प्रत्येक वास स्थान जहाँ आश्रम के साधन हैं, आश्रम की भूमि में ही हैं'' सच तो यह है कि भावी षिश्य को यहाँ के कर्म-संकुल जीवन के भीतर बैठकर अपने लिए सब कुछ स्वयं ही देख समझकर ग्रहण कर लेना होता है। आश्रम की ओर से उसे पूरी स्वतन्त्रता रहती है। किसी भी प्रकार की परिखा-प्रचीरें यहाँ नहीं होती, एकमात्र अपनी ही अर्न्तज्योति जिसके आलोक में साधक के पथ पर आगे बढ़ते जाना होता है।

श्री अरविन्द ने आश्रम को एक विज्ञान प्रयोगषाला की संज्ञा दी है जो अपने में सभी स्तरों के मानसिक, प्राणिक और चैतिक विकास कार्य को समोचे हुए है। यहाँ सभी अवस्थाओं और सभी प्रकारों के व्यक्ति और सभी परम्पराओं का परिवेष है। अनेक साधक हैं जो हिन्दू संस्कारों में जन्में-पले हैं, अनेक इस्लामी और ईसाई संस्कारों में और अनेकताओं धर्म, बौद्ध धर्म और निरीष्वरवाद तक के संस्कारों में भी। ये सभी अपनी-अपनी विकास यात्रा की विभिन्न

ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

अवस्थाओं में है। प्रत्येक साधक को अपने लिए अपने सत्य का स्वयं अनुसंधान करना होता है और यह आवष्यक नहीं कि जो सत्य एक का है वही किसी दूसरे का भी हो।

संदर्भ सूची

१. एच.ई. बार्न्स, सोषल इंस्टीट्यूषन, न्यूयार्क, वर्श १९४२, पृश्ठ २९
२. जिस वर्ग, द साइक्लोजी ऑफ सोसायटी, पृश्ठ १२२
३. मैकाइवर एण्ड पेज, सोसायइटी, न्यूयार्क, वर्श १९६२, पृश्ठ १६
४. जिस वर्ग, द साइक्लोजी ऑफ सोसायटी, पृश्ठ १२३
५. मैकाइवर एण्ड पेज, सोसायइटी, न्यूयार्क, वर्श १९६२, पृश्ठ १६
६. एच.ई. बार्न्स, सोषल इंस्टीट्यूषन, न्यूयार्क, वर्श १९४२, पृश्ठ १८
७. श्री अरविन्द, मानव चक्र, पाण्डिचेरी, वर्श १९७०, पृश्ठ ०१
८. श्री अरविन्द, मानव चक्र, पाण्डिचेरी, वर्श १९७०, पृश्ठ ०१
९. श्री अरविन्द, मानव चक्र, पाण्डिचेरी, वर्श १९७०, पृश्ठ ०३-०४
१०. श्री अरविन्द, ''नवजात'', तृतीय संस्करण, वर्श १९८१, पृश्ठ १२७
११. वही, पत्रिका, पृश्ठ १२८

❑❑❑